

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग.
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक F-6-23/2017/20-तीन

नया रायपुर, दिनांक

प्रेषक,

पी०के० पांडेय
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रेषिति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2 कम्प्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय:- सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत-
अशासकीय श्री शंकराचार्य पब्लिक स्कूल खरसिया, जिला रायगढ़, छ.ग. ।

=00=

विषयान्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय श्री शंकराचार्य पब्लिक स्कूल
खरसिया, जिला रायगढ़, (छ०ग०) को शिक्षा सत्र 2017-18 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा
बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान करता है ।

(पी०के० पांडेय)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० कमांक F-6-23/2017/20-तीन

नया रायपुर, दिनांक 05-07-2017

प्रतिलिपि:-

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ०ग० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर ।

चार्य/PRINCIPAL

शेखरपुर, जशपुर (छ.ग.)
Vidyalaya, Jashpur (C.G.)

President
Shankaracharya
Shan Samiti Trust
Kharsia

Principal
Shri Shankara Charya Public School
KHARSIA (C.G.)

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
BALCO, KORBA (C.G.)

.....02
प्राचार्य
PRINCIPAL
ज.न.वि.सुरजपुर(छ.ग.)
J.N.V.SURAJPUR(G.G.)

upto 2021
reverted to be

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़

रायगढ़ दि. 21/2 /2017.

कमांक / 123/मान्यता/ 2016.17

अशासकीय शिक्षण संस्थान प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रस्तुत आवेदन/शपथ पत्र एवं निरीक्षण समिति अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित संस्थाओं को वर्ष 17, 18 में इनके नाम के सम्मुख अंकित कक्षाएं संचालित करने हेतु नवीनीकरण अस्थाई विभागीय अनुमति सर्तार की जाती है। अशासकीय विद्यालय द्वारा प्रस्तुत बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिए को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम 4 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र के संदर्भ में एतद् विद्यालय के वार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरान्त मान्यता दी गई है।

न्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है। और किसी प्रकार से कक्षा आठवीं के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।

वों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 और एनेक्सर 1 ओर बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार न एनेक्सर 2 बंधनकारी होगा।

मालय पड़ोस के कमजोर वर्ग सुविधा विहीन बच्चों को जिस कक्षा से शुरूआत होता है दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और एक शिक्षा की पूर्ण तक निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12.2 के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जावेगी ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के विद्यालय पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।

पयटी / विद्यालय कोई भी कैपिटिसन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या इसके माता पिता का या पालकों का स्कीनिंग टेस्ट

मालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म जाति या वंश जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को वंचित नहीं करेगा।

मालय यह सुनिश्चित करेगा की :-

शिशु बच्चेको विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के पूर्णतः तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। यह विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा।

सभी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रतारणा नहीं दी जावेगी।

प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 23 के यथा अनुसार प्रदान किया जावेगा।

सभी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।

नून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता / विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश करेगा।

कक्षा कानून के खण्ड 23.1 निर्दिष्ट योग्यताओं के सहीत नियुक्त किये जायेंगे।

वर्ष के समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यतायें प्राप्त करेगे।

मालय उपयुक्त प्राधिकारण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम लागु करेगा।

कक्षाओं को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम वा शर्तें कानून के 23.3 के उद्देश्य के लिए नियम 18 के उप नियम 1 के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशासित होगी। विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश

विद्यालय कानून के खण्ड 19 विशिष्टकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाये रखेंगे अंतिम निरीक्षण के समय सुविधा निम्नानुसार हैं।

विद्यालय परिषद का क्षेत्रफल/कुल निर्माण का क्षेत्रफल/खेल मैदान का क्षेत्रफल/अध्यापन कक्षाओं की संख्या/पेयजल प्लांट/मध्यान भोजन पकाने हेतु किचन/बांध रहित पहुंच/शिक्षण अधिगम सामग्री / खेलकुद के उपकरण/ पंस्तकालय की सुविधा

विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।

विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्येश्यो विद्यालय के किसी कर्मचारी आवासीय उद्येश्यो को छोड़कर या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जावेगा।

विद्यालय सोसाटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880,19,860का 21 के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि

नये गठित पब्लिक ट्रस्टि द्वारा संचालित 15 विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ती समुह या व्यक्तीयों के समुह या अन्य

प्रायों के लाभ के लिये नहीं किया जावेगा। 16 लेखा प्रेशक्षण प्रति वर्ष कराया जाना चाहिये और चार्टर एकाउन्ट से प्रमाणित

पत्र चाहिये। और जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजना चाहिए।

विद्यालय को आबंटित कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में अंकित कर

प्राचार्य/PRINCIPAL

केन्द्रीय विद्यालय जशपुर (छ.ग.)

Kendriya Vidyalaya, Jashpur (C.G.)

President

Shri Shankaracharya
Shukshan Samiti Trust
Kharsia

प्राचार्य

PRINCIPAL

ज.न.वि.सुरजपुर(छ.ग.)
J.N.V.SURAJPUR(G.G.)

Principal

Shri Shankara Charya Public School
KHARSIA (C.G.)

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOC
BALCO, KORBA (G. G)

समय समय पर शिक्षा संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारीयां और प्रतिवेदन प्रदाय करता रहेगा ।
 पटी के पंजीयन का नवीनीकरण आवश्यकतानुसार करना सुनिश्चित करें ।
 य का निरीक्षण किसी भी समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकता है । नियमानुसार विद्यालय का संचालन नही करने पर
 य की विभागीय मान्यता / अनुमति समाप्त की जा सकती है ।

पूर्व प्राथमिक / प्राथमिक / माध्यमिक / हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी

विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	माध्यम	कक्षा संचालन हेतु विभागीय अनुमति अनुमति का विवरण
2	3	4	5
श्री शंकराचार्य पब्लिक स्कूल खरसिया	रायगढ़	अंग्रेजी	नर्सरी से 10 वीं तक नवीनीकरण

जिला शिक्षा अधिकारी
 रायगढ़

रायगढ़ दि. 21 / 2 / 2017

पृ0कमांक / 23 / मान्यता / 2016.17
 तिलिपि:-

सचिव छ0 ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर को सूचनार्थ ।
 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ0 ग0 रायपुर को सूचनार्थ ।
 कलेक्टर रायगढ़ को सूचनार्थ ।
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ को सूचनार्थ ।
 सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को सूचनार्थ ।
 विकास खण्ड शिक्षा अधिकार धरमजयगढ़ को सूचनार्थ ।
 कार्यालयीन मुख्य लिपिक / कीड़ा / स्का0 गाईड / परीक्षा / छानवृति शाखा को सूचनार्थ ।
 डिपो प्रबंधक नटवर रायगढ़ को सूचनार्थ ।
 संचालक प्रधान पाठक / प्राचार्य जी.व्ही. पी. पब्लिक स्कूल कापू त. धरमजयगढ़ जिला
 रायगढ़ को सूचनार्थ ।

शंकराचार्य पब्लिक स्कूल को सूचनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी
 रायगढ़

President
 Shri Shankaracharya
 Shiksha Samiti Trust

PRINCIPAL
 DELHI PUBLIC SCHOOL
 BALCO, KORBA (C. G.)

Principal
 Shri Shankara Charya Public School
 KHARSIA (C.G.)

प्राचार्य / PRINCIPAL
 केन्द्रीय विद्यालय जशपुर (छ.ग.)
 Kendriya Vidyalaya Jashpur (C.G.)

प्राचार्य
 PRINCIPAL
 ज.न.वि.सुरजपुर(छ.ग.)
 J.N.V.SURAJPUR(C.G.)